

**फर्द अहकाम**  
 न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर  
 तंवर सिंह बनाम बलवीर सिंह वगै

केस संख्या : प्रा.पत्र 23/2025

केस संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	विशेष विवरण
5/25		<p>पञ्जवली प्रस्तुत/वकील प्रवी ने डेक रिपोर्ट व रशी/पेरा की, हुताविक डेक रिपोर्ट मजबूतीग की तात्कील पूजा हो चुकी है तप्रावी-। मनुपरिधत है मा.ता.पेरा पर मनुपरिधत रहे या एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी। पञ्जवली दिनांक 25 को पेरा हो चुके।</p>
7/2025		<p>पञ्जवली प्रस्तुत/वकील प्रवी उपस्थित। अशर्ती संख्या-1 मनुपरिधत/बाट-बाट क्षावण लागू गरि। कोर उपस्थित नही है। प्रवी अधिवक्ता ने प्रार्थना पर मस्यारि निषेधता पर बरस की। प्रवी अधिवक्ता मनीषा वंवर की बरस सुनी गरि। प्रवी अधिवक्ता ने निर्णय किया कि विवाहित साराजी के मू-प्रबंध पिता के रिपोर्ट खजतेना कश्तकार के नाम के हराफेरी का नये व्यक्ति को नक अंकित कर दिया है जो कि सेलमेवर को अधिकार नही था मने हुकूम करके हेतु वा प्र प्रेश किया है हुवन साराजी पैरुद सम्पत्त है हुवन के संबंधन हेतु मजबूती बलवीर सिंह को कष्ट जपा मना किया गया है पर मजबूतीग हुवन साराजी का बेचक. मुर्द-मुर्द कर देते है तो प्रवी</p>

सहायक कलक्टर  
आमेर मु. जयपुर

[Signature]  
 सहायक कलक्टर  
आमेर मु. जयपुर

फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु० जयपुर

तवल सिंह बनाम खलवी सिंह


TI 23/25

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही

आज्ञा विस्तृत रूप से

विशेष विवरण

को अपूर्णीय शीत कारित होगी। प्राणी द्वारा किये  
 तको, फलफलों के मरदान पर प्रकृत दुल्पा मागला  
 अपूर्णीय शीत प्राणी के फल में प्रतीत होती है।  
 यदि अपूर्णीय शीत कारित नसारी का बचना व  
 खुई-खुई करते हैं तो प्राणी को अपूर्णीय शीत  
 कारित होने की प्रचल सेनापन है फल परतप  
 वाउ बाहुल्यता को रोको हेतु वाके व शीत  
 बुगलिपा तहसील जालसू जयपुर के खसरा नम्बर  
 354, 356, 367, 368, 406/553,  
 355, 357, 365, 366, 400/512, 359,  
 362, 364, 374, 361, 375, 351, 352,  
 353, 359, 370, 348, 349, 350,  
 342, 343, 344, 339, 341, 345, 363  
 346, 347, 338, 358 कुल कित 35  
 कुल रकबा 54. 643 हेक्टेयर में मौका एवं रिकॉर्ड  
 की अपूर्णीय शीत कारित के निस्तारण तक बनाये  
 रहे। पञ्चमी फैसल शुमार होकर वाखिल दफ्तर  
 है।

  
 सहायक कलक्टर  
 आमेर मु० जयपुर